

20-11-19

श्री
व कुलाच लक्ष्मीकेक उपस्थित। मूल वाप
में निमित्त पारित किया जा चुका है।
इस प्रकार में अन्त कीर्ति काचविधि अपेक्षित
नहीं है। लिहाजा प्रथम-फर आरिद्धि
जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी
अस्वामि निवेदनिका दिनांक 10.07.2017
को अपास्त किया जाता है पत्रावली
में सली में शुभप होकर हाकिम हुल्ल
है। मूल वाप लेलम्क रहे।

(राजिन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

